


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ..378/2017		जिला.....	हनुमानगढ़
उनवान -मैसर्स अमर ट्रेडिंग कम्पनी, सांगरिया, हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी, हनुमानगढ़ व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर			
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
16.03.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.गर्ग एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 07.02.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2016, जो कि अधिनियम की धारा 23(1) के तहत निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए मांग कायम की है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखी गई कुल मांग राशि रु. 5,13,000/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बनौला तथा बिनौला तेल का निर्माण किया जाता है। उक्त उत्पादों का उत्पादन में Cotton seed oil cake बाई-प्रोडक्ट का निर्माण भी होता है जो कि कर मुक्त है। व्यवहारी द्वारा राज्य एवं अन्तर्राज्यीय में विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार अपीलार्थी द्वारा निर्माण प्रक्रिया में रॉ-कॉटन से रूई, तेल बिनौला तथा खल बिनौला वजनानुसार निर्मित होता है। खल बिनौला कीमत में 25 प्रतिशत होता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने रॉ-कॉटन की स्थानीय खरीद पर शत प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने निर्मित बिनौला खल कर मुक्त होने के कारण खरीद किये गये कच्चे माल पर चुकाय गये कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है उसे आनुपातिक आधार पर स्वीकार करते हुए शेष (कर मुक्त अनुपात को) रिवर्स करते हुए रिवर्स कर, क्रय कर व ब्याज आरोपित किया है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसे यथावत रखा है, जिसकी वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है अतः जब तक माननीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय नहीं दे दिया जाता है तब तक वसूलनीय मांग को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये अधिनियम की धारा 23 (1) में आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अतः वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।</p>		
 11/03/17		लगातार.....2.	

उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों प्रावधानों के अनुरूप होने से विधिक बताया। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त (2016) 89 वेट एण्ड सर्विस टैक्स केसेज 54 शिव एडिबल्स लिमिटेड बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा व अन्य निर्णय दिनांक 30.09.2015 का हवाला देते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। यद्यपि अपीलार्थी की यह अपत्ति है कि उसका कर निर्धारण धारा 23(1) के तहत किया गया है न कि धारा 24 के अधीन। कर निर्धारण में मांग सृजित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस लिये यह मांग धारा 23(1) के तहत अवैध रूप से सृजित की गई है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर अपीलार्थी की उक्त अपत्ति पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। किन्तु इस संबंध में यही उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राँ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बनौला तथा बिनौला तेल का निर्माण किया जाता है। उक्त उत्पादों का उत्पादन में Cotton seed oil cake बाई-प्रोडक्ट का निर्माण भी होता है जो कि कर मुक्त है। उक्त बाई प्रोडक्ट कर मुक्त माल की बिक्री की सीमा तक Input Tax Credit अनुज्ञेय नहीं कर उस सीमा तक रिवर्स टैक्स आरोपण किया गया है। इस संबंध में सुस्थापित स्थिति के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 सीटीओ बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 में पारित निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किये जाने को विधिसम्मत ठहराया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत special leave petition को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारणार्थ स्वीकार किया गया है किन्तु कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय (2016) 89 वेट एण्ड सर्विस टैक्स केसेज 54 शिव एडिबल्स लिमिटेड बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा व अन्य निर्णय दिनांक 30.09.2015 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

“Accordingly, when similar view has already been taken by this court on indetical facts, there is no reason to deviate with the judgment rendered in CTO V. Durgeshwari Food Ltd., Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3.

At his juncture, counsel for the petitioner canvassed that the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, has admitted special leave petition and contends that the present petition be kept pending till disposal of appeal by the Hon'ble Apex Court or in the alternative she contends that whatever order will be passed by the Hon'ble Apex Court in SLP in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, should also govern the fate of the instant revision petition.

Accordingly, the revision petition stands dismissed in the light of judgment rendered in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3, with a rider that in case the judgement by Hon'ble Apex Court is decided in favour of the assessee in that case then this revision petition will be governed by the verdict of the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar.”

वर्तमान प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बनौला तथा बिनौला तेल का निर्माण किया जाता है। उक्त उत्पादों का उत्पादन में Cotton seed oil cake बाई-प्रोडक्ट का निर्माण भी होता है जो कि कर मुक्त है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. क्लेम किया गया था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कच्चे माल से निर्मित कर मुक्त Cotton seed oil cake बाई-प्रोडक्ट की बिक्री पर आईटीसी की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स आरोपित किया गया। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों दुर्गेश्वरी फूड लि. तथा शिव एडिबल लि. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कच्चे माल से किये गये निर्माण/उत्पाद में कर मुक्त माल के बिक्री की सीमा तक Input Tax Credit अनुज्ञेय नहीं कर उस सीमा तक रिवर्स टैक्स आरोपण को विधि सम्मत है।

उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2017 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में कोई प्रथम दर्शया मामला सुविधा का संतुलन उपलब्ध नहीं है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.02.2017 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 38(4) अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

Ami-un
16/03/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर